न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 32/2021

प्रार्थी

श्री हुकुमसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी चवरली ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्रीमती लीलादेवी भील पत्नि श्री जगदीशराम जाति भील निवासी आदर्श तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. सरपंच ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री फिरोज सिलावट, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।

निर्णय दिनांक 29.03.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी पट्टा संख्या 19102 दिनांक 24.12.2019 क्षेत्रफल 2501 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री फिरोज सिलावट ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या दो ने अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी पट्टा संख्या 19102 दिनांक 24.12.2019 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत विधि विरूद्ध जारी किया है। जिसकी पात्रता अप्रार्थी संख्या–एक नही रखता है। अप्रार्थी संख्या–एक को सदोष लाभ देने के नियत से बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये उक्त पट्टा जारी किया गया है जो काननन गलत है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। पंचायत द्वारा उक्त प्रस्ताव पारित करने [illegible] जारी करने से पूर्व आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही की है। यह है कि [illegible] में प्रार्थी के मालिकी स्वामित्व व पट्टेशुदा भूमि आई हुई है, [illegible] पंजीयन करवाया हुआ है। यह है कि श्री जगदीश कुमार उर्फ जगदीशराम पुत्र श्री भीकाजी [illegible] के मालिकी स्वामित्व व पुश्तैनी भूखण्ड गांव आदर्श में [illegible] हुआ है एवं श्री ज[illegible] को रकम की आवश्यकता होने पर उक्त भूखण्ड श्री जगदीश ने प्रार्थी को कीमतन चालीस हजार में विक्रय किया था एवं उसका बेचान इकरारनामा प्रार्थी को लिखकर नोटेरी से रजिस्टर्ड करवाया था एवं कब्जा मौके पर प्रार्थी को सुपूर्द कर दिया था। यह है कि उक्त कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:18:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, सिरोही

प्राप्त होने पर प्रार्थी ने उक्त भूमि पर टीनशेड मकान निर्माण किया एवं दिनांक 06.04.2009 के पश्चात से ही बतौर स्वामी उसका उपयोग उपभोग करता आ रहा है। यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में प्रार्थी के पक्ष में पट्टा संख्या 136 दिनांक 17.02.2011 को जारी किया गया है एवं कानूनन पूर्व का पट्टा अस्तित्व में रहते उसी जमीन का दूसरा पट्टा जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.08.2019 को प्रस्तुत किया, जिसमें मिसल कार्यवाही में अनेक कमियां स्पष्ट दिखाई दे रही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर उक्त विवादित पट्टा संख्या 19102 दिनांक 24.12.2019 को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री फिरोज सिलावट द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157(2) के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है। यह है कि प्रार्थी का ग्राम आदर्श डूंगरी में कोई प्लॉट आया हुआ नहीं है एवं उक्त प्लॉट अप्रार्थी संख्या एक के कब्जे व मालिकी का प्लॉट है, जो अप्रार्थी संख्या एक के दादा को आदर्श डूंगरी की स्थापना के समय जिला प्रशासन के द्वारा आवंटित किया गया था, उसके बाद उक्त प्लॉट पर अप्रार्थी के पिता व उसके बाद अप्रार्थी संख्या एक का कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक को प्रार्थी को जारी पट्टे की जानकारी नहीं है एवं अप्रार्थी संख्या एक ने उक्त प्लॉट कभी भी प्रार्थी को 40,000/– में बेचान नहीं किया है एवं न ही उक्त प्लॉट पर टीनशेड बना हुआ है। यह है कि प्रार्थी अच्छे रसुखात व दबंग व्यक्ति है, जिसने ग्राम पंचायत से मेल–मिलाप कर पट्टा जारी करवा लिया गया है। प्रार्थी को पट्टा जारी करते वक्त आस–पडौस में भी किसी व्यक्ति को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ, जबकि अप्रार्थी संख्या एक का पुराना कब्जा होने से व पूर्व में आवंटित कब्जे का पत्र ग्राम पंचायत के रेकर्ड में होने से अप्रार्थी संख्या एक के हक में पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध कोई झूठी शिकायत नहीं की है, बल्कि प्रार्थी के पट्टे के विरूद्ध आपत्ति दर्ज की है, जिससे विकास अधिकारी पंचायत समिति सिरोही के द्वारा निगरानी पेश की गई थी। यह है कि प्रार्थी ने जानबूझकर गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलिभॉति अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम नियम 157(2) के तहत पट्टा संख्या 19102 दिनांक 24.12.2019 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम नियम 157(2) के अनुसार–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:18:21 IST
Reason: SelfAttested

ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं [illegible] कोई [illegible]/गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी झोंपड़ी/[illegible] पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्गगज तक [illegible] नियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररूप 23ख में) ऐसी महिला के [illegible] से जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।

Bello
जिला कलेक्टर, सिरोही

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी द्वारा उक्त विवादित पट्टा संख्या 19102 दिनांक 24.12.2019 को अप्रार्थी संख्या एक को नियम 157(2) के तहत जारी किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित भूमि श्री जगदीश कुमार उर्फ जगदीशराम पुत्र श्री भीकाजी भील से जरिए इकरारनामा के 40,000/- रूपए में क्रय की है, परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो यह साबित कर सके कि प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित भूमि का क्रय किया गया है। यह है कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भी प्रस्तुत निगरानी में यह स्वीकार किया गया है कि पूर्व में उक्त विवादित भूमि श्री जगदीश के मालिकी स्वामित्व व पुश्तैनी भूमि है, परन्तु उनके द्वारा उक्त विवादित भूमि के जरिए रजिस्टर्ड इकरारनामा के क्रय किए जाने के कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जहां तक पंचायत की कार्यवाही का सवाल है, तो ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता का अभाव होने से आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में त्रुटि रहना स्वाभाविक है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यवाही में की गई कमियों के लिए आवेदक को दोषी मानना उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक का कब्जा एवं स्वामित्व है, परन्तु उक्त विवादित भूमि पर प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी से पट्टा संख्या 136 दिनांक 17.02.2011 को जारी करवाया गया है, जिसकी चतुर्दशी एवं उक्त विवादित पट्टे में अंकित चतुर्दशी का अवलोकन करने पर एक ही भूमि का पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है। अतः पूर्व में जारी पट्टा संख्या 136 दिनांक 17.02.2011 के अस्तित्व में रहते हुए उसी जमीन का पुनः पट्टा जारी किया जाना कानूनन परिपोषणीय नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी पट्टा संख्या 19102 दिनांक 24.12.2019 क्षेत्रफल 2501 को निरस्त किया जाता है, परन्तु इससे उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक के मालिकी स्वामित्व के अधिकार समाप्त नहीं होते है। नियम विरूद्ध पट्टा जारी करने के लिए तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी (ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव) के विरूद्ध राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत जाँच कर कानूनी कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही अपने स्तर पर सम्पादित करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:18:21 IST
Reason: SelfAttested